रीडर

4-1-2021	पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/~~प्रतिवादी/~~ ~~अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/पक्षों/आवेदक/उत्तरपक्ष~~ उपस्थित हैं/~~अनुपस्थित हैं।~~ श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर हैं/~~अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है।~~ अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 11-1-2021 को पेश हो। वादी राधेश्याम ने स्वयं का शपथपत्र बतौर मुख्यपरीक्षण पेश किया।
11-1-2021	वकील वादी उप०। वादी राधेश्याम के बयान दर्ज किए गए। ~~साक्ष्य~~ शेषसाक्ष्य हेतु पत्रावली दि० 15-1-2021 को पेश हो।
15-1-2021	वकील वादी उप०। वकील वादी ने गवाह हरिलाल माली, विजय कुमार शर्मा के बयान करवा कर साक्ष्य पूर्ण की। वास्ते बहस पत्रावली हेतु पत्रावली दि० 29-1-2021 को पेश हो।
29-1-2021	वकील वादी उप०। बहस हेतु पत्रावली दि० 17-2-2021 को पेश हो।
17-2-2021	वकील वादी उप०। बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 3-3-2021 को पेश हो।
3-3-2021	वकील वादी उप०। दावा वादी [illegible] किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो, [illegible] नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 18:09:00 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] शर्मा पुत्र [illegible] जाति ब्राह्मण निवासी अग्रवाल कॉलेज के पास [illegible] रोड, गंगापुर सिटी —वादी

बनाम

1. [illegible] बेबा 2. [illegible] पुत्र 3. [illegible]लाल पुत्र 4. [illegible] पुत्री 5. [illegible]नला पुत्री 6. शीला पुत्री	स्व. रामजीलाल जाति माली निवासी उघाडमल का बालाजी के पास, ग्राम पंचायत चूली पोस्ट मिर्जापुर गंगापुर सिटी

7. हजारी लाल पुत्र सोन्या जाति माली निवासी उघाडमल का बालाजी कें पास, ग्राम पंचायत चूली पोस्ट मिर्जापुर तहसील गंगापुर सिटी (हजफ)
8. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी

9. मु0 ओमवती पत्नि 10. रीमा उम्र पुत्री 11. मनीषा उम्र पुत्री	स्व0 दामोदर, माली, उघाडमल के बालाजी के पास, चूली, गंगापुर सिटी
12. समय उम्र 12 साल पुत्र 13. लज्जा उम्र 10 साल पुत्री	स्व. दामोदर नाबालिगान जरिये संरक्षिका माता ओमवती, माली उघाडमल बालाजी के पास, गंगापुर सिटी —प्रतिवादीगण

दावा घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितः श्री दिनेश डांस एडवोकेट, वादी की ओर

निर्णय

वादी ने दावा इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम चूली तहसील गंगापुर सिटी में भूमि ख.नं. 32/2225 रकवा 0.20 है0, ख.नं. 36/2226 रकवा 0.32 है, ख.नं. 38 रकबा 0.42 है, एवं ख.नं. 40 रकबा 0.34 है0 कुल किता 4 कुल रकवा 1.28 है0 स्थित है। उक्त आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1 के पति, प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के पिता रामजीलाल व रामजीलाल के भाई हजारीलाल की 1/2 – 1/2 हिस्से में खातेदारी व कब्जेकाश्त की रही है। जिन्होने कि काफी सालों पहिले ही उक्त आराजीयात को अपने हिस्से अनुसार मौके पर बांट रखा था। [illegible] अनुसार पश्चिमी तरफ की ख.नं. 32/2225, 36/2226 का [illegible] एवं [illegible] भूमि ख.नं. 38 के पश्चिमी तरफ

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:09:00 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (राज.)

[illegible] के अनुसार [illegible] हिस्सा 25/64, रामजीलाल पुत्र [illegible] माली हिस्सा 7/64 व हजारी लाल पुत्र सोन्या माली हिस्सा 1/2 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। खातेदार रामजीलाल करीब ढाई साल पहले फौत हो चुका है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 उसके वारिस है। वादी ने उक्त आराजियात में सहखातेदार रामजीलाल माली से उसके 1/2 हिस्से की भूमि का 25/32 हिस्सा की भूमि अर्थात कुल रकवे का 25/64 हिस्सा जो कि 50 ऐयर रकबा भूमि है, को दिनांक 27.1.2011 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कय किया था। रामजीलाल व उसके भाई हजारीलाल के मध्य उक्त भूमि खरीदने से काफी साल पहले से ही मौके पर विभाजन हो रखा था इसलिये उक्त रामजीलाल ने मौके पर अपने कब्जे काश्त भूमि ख.नं. 32/2225 व 36/2226 की 50 ऐयर भूमि का कब्जा वादी को संभला दिया। वादी द्वारा उक्त भूमि खरीदने व उपरोक्तानुसार कब्जा प्राप्त करने के बाद तत्समय ही अपनी खरीदशुदा व कब्जेशुदा उक्त भूमि 50 ऐयर की सुरक्षार्थ उसकी चारों तरफ की पुख्ता बाउण्ड्री वाल 6 फिट उँचाई की एवं उसके उपर ढाई फिट उंचाई में चौतरफा तारबन्दी करा ली, जिसे संलग्न नजरी नक्शे में लाल स्याह से रेखाकिंत कर मार्क अ,ब,स,द से दर्शाया गया है। बाउन्ड्रीवाल कराने के उपरान्त उक्त आराजी में पुख्ता मकान, टीन रोड का निर्माण करवा लिया एवं 10–12 आम के पेड, करीब 250 सागवान के पेड लगा दिये तथा पानी की सुविधार्थ एक ट्यूबवेल भी लगवा ली। इसके अलावा ग्वार, बाजरा, तिल्ली की फसले भी वादी लगातार अपनी उक्त भूमि में काश्त करता चला आ रहा है। ख. नं. 38 व 40 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के मकानात बने हुए है एवं शेष भूमि में काश्त करते चले आ रहे है। यहां उल्लेख करना समीचीन है की वादी उक्त भूमि के लगवां उत्तरी तरफ वादी की ही दीगर खातेदारी व कब्जे काश्त भूमि स्थित है। इस तरह उक्त आराजीयात पर वादी व प्रतिवादीगण मौके पर काबिज चले आ रहे है। किन्तु राजस्व रिकोर्ड में उपरोक्तानुसार विभाजन का इन्द्राज नही हो रहा है अर्थात राजस्व रिकार्ड में भूमि संयुक्त खातेदारी मे अविभाजित चली आ रही है। इसलिये वादी ने कई बार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 से उक्त आराजियात का मौके पर कब्जेनुसार व [illegible] हो रहे विभाजन के अनुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज करवाने के लिये कार्यवाही करने की बात कही किन्तु प्रतिवादीगण टालमटोल करते चले आ रहे है। दिनांक 20.4.2019

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:09:00 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

[illegible]नुसार उक्त आराजियात का विभाजन का इन्द्राज करने से इन्कार कर दिया, बल्कि उन्होंने वादी को यह भी धमकी दी की बिना राजस्व रिकॉर्ड में विभाजन कराये संयुक्त रूप से उक्त आराजियात को दीगर लोगों को रहन वय अथवा अन्य तरह से हस्तान्तरित कर देंगे तथा प्रतिवादीगण ने वादी की अपनी खातेदारी व कब्जेकाश्त की बाउण्ड्रीशुदा उक्त भूमि में वादी के कब्जे काश्त उपयोग में बाधा कारित करने की भी धमकी दी। उक्त आराजियात का वादी विभाजन कराकर अपने हक में भूमि ख.नं. 32/2225 रकबा 0.20 है0 सम्पूर्ण एवं ख.नं. 36/2226 रकवा 0.32 है0 में से संलग्न नक्शे नक्शेनुसार बाउण्ड्रीशुदा 30 ऐयर भूमि कुल 50 ऐयर भूमि की अपने हक में घोषणा खातेदारी कराकर इन्द्राजात राजस्व रेकॉर्ड में कराने का अधिकारी है। अतः दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिकी फरमाया जावे कि ग्राम चूली तहसील गंगापुर सिटी में स्थित भूमि ख.नं. 32/2225 रकबा 0.20 है0 ,ख.नं. 36/2226 रकवा 0.32 है0 ख.नं. 38 रकवा 0.42 है0 एवं ख.नं. 40 रकवा 0.34 है0 का राजस्व रिकार्ड में मौके पर हो रहे विभाजन व कब्जेनुसार विभाजन किया जावे अर्थात नजरी नक्शा संलग्न वादपत्र में लाल स्याही से रेखाकिंत व मार्क अ,ब,स,द से दर्शित बाउण्ड्रीशुदा ख.नं. 32/2225 सम्पूर्ण रकवा 0.20 है0 व ख.नं. 36/2226 की 30 ऐयर भूमि कुल रकवा 50 ऐयर को वादी की खातेदारी मे दर्ज की जावे। एवं शेष खसरा नम्बर 38 व 40 से वादी का नाम हजफ फरमाया जावे एवं तद्नुसार ही समस्त राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी नक्शा ट्रेस आदि में वादी के नाम इन्द्राज फरमाये जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय से पाबन्द फरमाया जावे कि वे कब्जे अनुसार हो रहे विभाजन के अनुसार राजस्व रिकार्ड में विभाजन का अंकन हेतु वादग्रस्त आराजियात ख.नं. 32/2225, 36/2226, 38 व 40 को दीगर व्यक्ति को रहन वय अथवा अन्य किसी भी तरह से हस्तान्तरित नही करे एवं संलग्न नजरी नक्शें में लाल स्याही से रेखाकित बाउण्ड्रीशुदा भूमि ख.नं. 32/2225, 36/2226 को वादी के उपयोग उपभोग, कब्जा काश्त आदि में न तो स्वयं बाधा कारित करे ना ही अन्य से करावे एवं मौका व रिकोर्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए। अतः प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:55:00 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

बहस विद्वान वकील वादी सुनी गई।

वादी के विद्वान वकील ने अपने वादपत्र के अनुसार बहस करते हुए वादी का दावा डिक्री करने का अनुरोध किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया, नकल जमाबंदी प्रदर्श 2 के अनुसार वादग्रस्त भूमि मे वादी का ... हिस्सा दर्ज हैं अर्थात वादग्रस्त भूमि मे वादी का 50 एयर हिस्सा ... हैं। वादी ने अपने वादपत्र के साथ जो नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है उसको प्रतिवादीगण ने चुनौती नही दी है एवं वादपत्र का कोई जबाब भी प्रस्तुत नही किया है। वादी के स्वयं के बयानो से एवं गवाहो के बयानों से वादी के वाद पत्र की पुष्टि होती है। फलस्वरूप वादी का वादपत्र डिक्री किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर भूमि ख0न0 32/2225 रकबा 0.20 है0 सम्पूर्ण रकबा एवं भूमि ख0न0 36/2226 रकबा 0.32 है0 मे से ख0न0 32/2225 से लगती हुई 30 एयर भूमि कुल 50 एयर भूमि स्थित ग्राम चूली (जिसे नजरी नक्शा प्रदर्श 1 मे लाल स्याही से अ, ब, स, द से दर्शाया हुआ है।) का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इस भूमि मे दर्ज रामजीलाल पुत्र सोन्या व हजारीलाल पुत्र सोन्या का नाम 50 एयर रकबे की सीमा तक हजफ करने का आदेश दिया जाता है। इसके साथ ही भूमि ख0न0 38 एवं 40 ग्राम चूली मे से वादी राधेश्याम शर्मा का नाम हजफ करने का आदेश दिया जाता है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख एवं नक्शा ट्रेस मे इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:09:00 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]

[illegible]

[illegible] पुत्र कजोडमल जाति ब्राहम्ण निवासी अग्रवाल कॉलेज के पास [illegible], गंगापुर सिटी —वादी

बनाम

1. [illegible] बेवा
2. [illegible] पुत्र
3. [illegible] पुत्र
4. [illegible] पुत्री
5. [illegible] पुत्री
6. [illegible] पुत्री

स्व. रामजीलाल जाति माली निवासी उघाडमल का बालाजी के पास, ग्राम पंचायत चूली पोस्ट मिर्जापुर गंगापुर सिटी

7. हजारी लाल पुत्र सोन्या जाति माली निवासी उघाडमल का बालाजी कें पास, ग्राम पंचायत चूली पोस्ट मिर्जापुर तहसील गंगापुर सिटी (हजफ)
8. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी
9. मु0 ओमवती पत्नि
10. रीमा उम्र पुत्री
11. मनीषा उम्र पुत्री

स्व0 दामोदर, माली, उघाडमल के बालाजी के पास, चूली, गंगापुर सिटी

12. समय उम्र 12 साल पुत्र
13. लज्जा उम्र 10 साल पुत्री

स्व. दामोदर नाबालिगान जरिये संरक्षिका माता ओमवती, माली उघाडमल बालाजी के पास, गंगापुर सिटी —प्रतिवादीगण

दावा घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. —50/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री दिनेश डांस, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई श्री................मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर भूमि ख0न0 32/2225 रकबा 0.20 है0 सम्पूर्ण रकबा एवं भूमि ख0न0 36/2226 रकबा 0.32 है0 मे से ख0न0 32/2225 से लगती हुई 30 एयर भूमि कुल 50 एयर भूमि स्थित ग्राम चूली (जिसे नजरी नक्शा प्रदर्श 1 मे लाल स्याही से अ ब स द से दर्शाया हुआ है।) का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इस भूमि मे दर्ज रामजीलाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:09:00 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

9

(2)

... व हजारीलाल पुत्र सोन्या का नाम 50 एयर रकबे की सीमा तक ... का आदेश दिया जाता है। इसके साथ ही भूमि ख0न0 38 एवं ... चूली मे से वादी राधेश्याम शर्मा का नाम हजफ करने का आदेश ... जाता है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख एवं नक्शा ट्रेस मे इन्द्राज ... की जावे।

खर्चा डिक्री आज दिनांक 03.03.2021 को जारी किया गया ।

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:09:00 IST
Reason: SelfAttested